



राजस्थान रोजगार संधेस

पाक्षिक

(राजस्थान सरकार के रोजगार सेवा निदेशालय द्वारा प्रकाशित व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं रोजगार संबंधी सूचनाओं का एकमात्र प्रकाशन)

वर्ष 45 अंक 10

Website: <http://employment.livelihoods.rajasthan.gov.in>

1 जुलाई, 2022

फोन : 0141-2368398

मूल्य : 2.00

वार्षिक शुल्क 40 रु.

आपकी जानकारी के लिए

विदेशी भाषा के क्षेत्र में कैरियर की संभावनाएं

- हरमोदित मित्तल

“भाषा” समाज एवं मानव के बीच की कुन्जी है। भिन्न-भिन्न भाषाओं को सीखने का तात्पर्य है विभिन्न वर्गों की संस्कृति एवं परम्पराओं को समझना। वैश्वीकरण के इस युग में भौगोलिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक सीमाएँ सिमट रही हैं और विश्व को आपस में जोड़ने का सबसे उपयुक्त माध्यम है “भाषा”। यदि आपको अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य विदेशी भाषा का भी ज्ञान हो तो आप इसमें अपना कैरियर भी बना सकते हैं।

किसी भाषा में दक्षता होना अच्छी जॉब प्राप्त करने में हमेशा सहायक होता है परन्तु विदेशी भाषा का ज्ञान, कैरियर की दौड़ में आपको बहुत आगे ले जाता है। वैश्वीकरण के इस दौर में जब हर क्षेत्र में देशों के मध्य संचार बढ़ता जा रहा है तो एक से अधिक भाषाएँ जानने वालों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है, खासकर भारत तो पूरे विश्व को अपनी सेवाएँ दे रहा है। अंग्रेजी के साथ ही कोई अन्य भाषा भी जानने वालों के लिए अनगिनत अवसर है।

भारत में कुछ वर्षों में तेजी से कॉल सेन्टर स्थापित हुए हैं जो विदेशों में अपनी सेवाएँ देते हैं। इनमें बहुभाषी व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है। जैसे फ्रान्स में दी जाने वाली जानकारी इसी देश की भाषा में व्यक्तियों को उपलब्ध करवाने के लिए कॉल सेन्टर में बैठे व्यक्ति को फ्रेंच भाषा का ज्ञान एवं उसकी संस्कृति की जानकारी होना आवश्यक है। इसी प्रकार जर्मन, जापानी, स्पेनिश, चीनी, रशियन, अरबी, कोरियन भाषा के जानकार लोगों की मांग तेजी से बढ़ रही है।

विदेशी भाषा सीखने के बाद आप ट्रांसलेटर अथवा

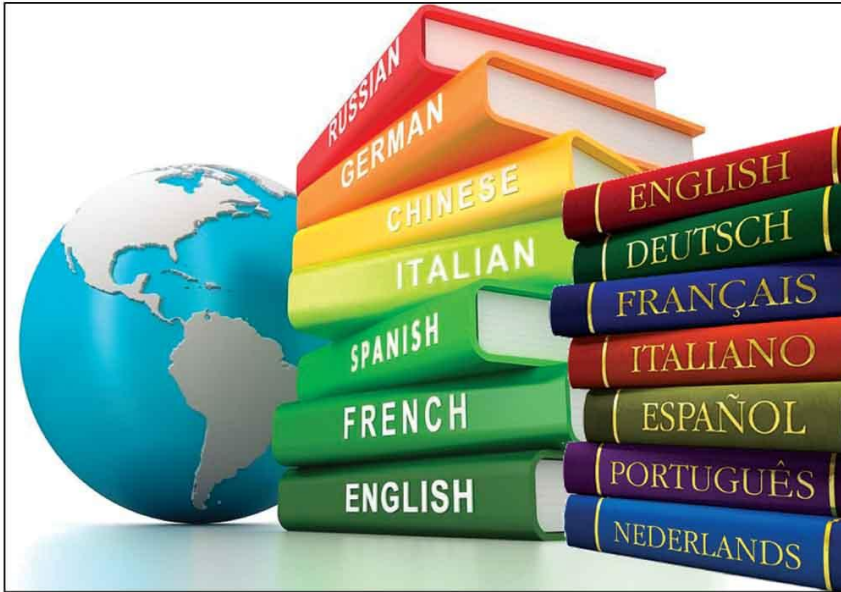
इंटरप्रेटर के रूप में स्वतन्त्र रूप से अथवा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, सरकारी विभागों, दूतावासों में स्थाई नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। विश्व व्यापार संगठन (WTO), संयुक्त राष्ट्र संगठन (UNO), विश्व बैंक (World Bank), यूनिसेफ जैसे अन्तराष्ट्रीय संगठनों व वायुयान सेवाओं में भी भाषा विशेषज्ञों की काफी मांग है। इसके अतिरिक्त पर्यटन, होटल इन्डस्ट्री, इन्टरनेशनल मीडिया हाउस (प्रिन्ट, रेडियो, टी.वी.) अथवा विदेशी भाषा के शिक्षक के रूप में भी रोजगार के असीम अवसर हैं।

पात्रता एवं पाठ्यक्रम:- विदेशी भाषा के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए सामान्यतः उम्मीदवार को 10+2 उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

उत्तीर्ण होती है। डिग्री पाठ्यक्रमों हेतु 10+2 उत्तीर्ण योग्यताधारी को प्रायः सामान्य ज्ञान, हिन्दी, अंग्रेजी आधारित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश दिया जाता है। सामान्यतः सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम की अवधि 6 माह से 1 वर्ष, डिप्लोमा की 1 से 2 वर्ष, स्नातक के लिए तीन वर्ष एवं स्नातकोत्तर के लिए 2 वर्ष रखी गई है। कुछ विश्वविद्यालय विदेशी भाषा में पार्ट-टाइम पाठ्यक्रम भी चलाते हैं। जिसकी जानकारी संबंधित विश्वविद्यालय की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।

प्रमुख संस्थान:- विदेशी भाषा में पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाने वाले कुछ मुख्य संस्थान निम्न हैं :-
1. जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।

2. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।
3. दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।
4. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय, दिल्ली।
5. केन्द्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद।
6. गुरुनानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर।
7. जामिया मिलिया इस्लामिया, हैदराबाद।



विदेशी भाषा में मुख्यतः:- तीन प्रकार के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं।

1. प्रमाणन पाठ्यक्रम (Certificate Course),
2. डिप्लोमा
3. डिग्री पाठ्यक्रम

सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम के लिए न्यूनतम योग्यता 10+2

8. भारतीय विद्या भवन, कस्तुरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली।
9. राजस्थान यूनिवर्सिटी, जयपुर।

(सांकेतिक सूची मात्र)

लेखक सहायक निदेशक, उपक्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, बीकानेर के पद पर कार्यरत हैं।

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018 दूरभाष नं. 0141-2722520

क्रमांक : प.14(108)RSSB/अर्थना/मा.शि./शा.शि./भर्ती/2022/567

दिनांक : 16.06.2022

-: विज्ञापन सं. 08/2022 :-

शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती - 2022

राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम-2021 एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिये शारीरिक शिक्षा अध्यापक के 5546 (गैर अनुसूचित क्षेत्र के 4899 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 647) पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन पत्र (On Line Application Form) आमंत्रित किये जाते हैं।

विशेष नोट :-

- (1) Online Application Form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। ऑनलाईन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञापित को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा इसमें दिये गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (2) आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अधीन परिवर्तनीय होगी।

1. आवेदन प्रक्रिया:- बोर्ड द्वारा आवेदन Online Application Form लिये जाएंगे जिन्हें राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क/जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन एवं संबंधित सेवा नियम का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेंगे। तदुपरांत ही अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करें।

- ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को बोर्ड के ऑनलाईन पोर्टल <http://rsmssb.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध Apply online link को Click कर अथवा एस.एस.ओ पोर्टल <http://sso.rajasthan.gov.in> से Login पर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करना होगा। प्रथम बार One Time Registration (OTR) करने हेतु अभ्यर्थी के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकण्डरी/समकक्ष परीक्षा एवं आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर कार्ड/डाईविंग लाईसेंस आई.डी. में से किसी एक आई.डी. प्रूफ के विवरणों का इन्दाज एवं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने अनिवार्य होंगे।
- अभ्यर्थी द्वारा One Time Registration (OTR) कर्मांक जनरेट होने के पश्चात् OTR Profile में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकण्डरी/समकक्ष परीक्षा का विवरण एवं आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर कार्ड/डाईविंग लाईसेंस आई.डी. विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा।
- यदि अभ्यर्थी के आधार कार्ड में अथवा जन आधार कार्ड में उसके नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि एवं लिंग में कोई त्रुटि है तो इन त्रुटियों को पहले से ही दुरुस्त करा लेना चाहिए।
- यदि अभ्यर्थी अपना OTR रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड/जन आधार कार्ड के माध्यम से न करके SSO ID के माध्यम से करता है तो उसे सैकण्डरी की अंकतालिका व एक पहचान दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के पश्चात् Recruitment Portal पर उपलब्ध भुगतान सुविधा से परीक्षा शुल्क का भुगतान कर आवेदन पत्र कर्मांक (Application I.D) जनरेट करना होगा।
- अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करवाने हेतु अन्य किसी पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करें।
- अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान आवेदन की अंतिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधित Transaction का लम्बित सत्यापन समय रहते हो सके अन्यथा इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
- आवेदक अपने स्वयं का ही मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. दर्ज करें तथा इसे नहीं बदलें। महत्वपूर्ण सूचनाएं आवेदन में दर्ज मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. पर ही भेजी जाती हैं।
- आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन पत्र कर्मांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन पत्र कर्मांक (Application I.D) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन Submit नहीं माना जायेगा।
- आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk Number या E-Mail पर सम्पर्क करें। ई-मित्र हेल्पलाइन नम्बर 0141-2221424/2221425 एवं ऑनलाईन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिये हेल्पलाइन नम्बर 0294-3057541 पर सम्पर्क करें।
- आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने हेतु पात्र है, उसी श्रेणी में ऑनलाईन आवेदन करें। गलत सूचना देने/तथ्य छुपाने पर बोर्ड अभ्यर्थी पर नियमानुसार कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा।

2. आवेदन एवं परीक्षा शुल्क:- आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से चयन बोर्ड को ऑनलाईन जमा करवावें।

(क) सामान्य वर्ग व कीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु —रुपये 450/-

(ख) राजस्थान के नॉन कीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक हेतु —रु 350/-

(ग) समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु —रुपये 250/-

(घ) कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.8(3) कार्मिक/क-2/18 दिनांक 02.05.2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है, के लिये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क रुपये 250/-देय है।(क्षप्या इस संबंध में नीचे अंकित नोट संख्या 3 भी अवश्य देखें।)

नोट:-

- राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा।
- फीस एक बार जमा होने पर वापिस नहीं लौटाई जायेगी।
- सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है तथा वे परीक्षा शुल्क रुपये 250/- ही जमा कराते हैं, ऐसे अभ्यर्थी अपने परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र पात्रता की जांच एवं दस्तावेज के सत्यापन के समय आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।

3. प्रवेश पत्र:-बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाईन प्रवेश-पत्र जारी किये जाएंगे। बोर्ड द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। बोर्ड की वेबसाइट पर प्रवेश-पत्र जारी किये जाने की सूचना समाचार पत्रों एवं वेबसाइट के माध्यम से जारी की जाएगी। आवेदक अपना प्रवेश-पत्र वेबसाइट से प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र कर्मांक एवं जन सुविधा (C.S.C) पर फीस जमा कराने का टोकन नम्बर ध्यान में रखें। उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधा के आधार पर प्रवेश-पत्र सम्बन्धी सूचना आवेदक के ई-मेल आईडी (E-mail ID) एवं मोबाइल नम्बर पर भेजी जा सकती है।

(क्रमशः)

शारीरिक शिक्षा अध्यापक की शक्तियों का जिलेवार एवं वर्गवार वर्गीकृत विवरण:-(गैर अनुसूचित क्षेत्र)

क्र.सं.	खिले का नाम	कुल पद	अनाश्रित वर्ग										EWS वर्ग कुल 10 प्रतिशत					SC वर्ग कुल 15 प्रतिशत					ST वर्ग कुल 12 प्रतिशत					OBC वर्ग कुल 21 प्रतिशत					MBC वर्ग कुल 05 प्रतिशत					सहस्रिया आदिम जाति वर्ग					निशस्त्रजन कुल 4 प्रतिशत					प्रतिशत																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			आपातव्य					अन्य					आपातव्य					अन्य					आपातव्य					अन्य					आपातव्य					अन्य					आपातव्य							अन्य																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			महिला (50 प्रतिशत)		आपातव्य महिला			महिलाओं हेतु कुल 30 प्रतिशत			महिला (50 प्रतिशत)		आपातव्य महिला			महिलाओं हेतु कुल 30 प्रतिशत			महिला (50 प्रतिशत)		आपातव्य महिला			महिलाओं हेतु कुल 30 प्रतिशत			महिला (50 प्रतिशत)		आपातव्य महिला			महिलाओं हेतु कुल 30 प्रतिशत			महिला (50 प्रतिशत)		आपातव्य महिला			महिलाओं हेतु कुल 30 प्रतिशत			महिला (50 प्रतिशत)		आपातव्य महिला					महिलाओं हेतु कुल 30 प्रतिशत																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला	महिला	आपातव्य महिला

शारीरिक शिक्षा अध्यापक की रक्तियों का जिलेवार एवं वर्गवार वर्गीकृत विवरण:- (अनुसूचित क्षेत्र)

क्र. सं.	जिले का नाम	कुल पद	अनारक्षित वर्ग						SC वर्ग कुल 05 प्रतिशत						ST वर्ग कुल 45 प्रतिशत						नि:शक्तजन कुल 4 प्रतिशत						भूतपूर्व सैनिक कुल 12.5 प्रतिशत	उत्कृष्ट खिलाड़ी 2 प्रतिशत
			सामान्य	महिला (30 प्रतिशत)						सामान्य	महिला (30 प्रतिशत)						सामान्य	महिला (30 प्रतिशत)						(अ) श्रवण बाधित (1.33%) (ब) चेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग, बीजापन, पक्षिक पीड़ित सहित चलन- निश्चलता (1.33%) (स) ऑटिज्म, बौद्धिक निश्चलता, लर्निंग निश्चलता एवं मानसिक रुग्णता (स) बहु दिव्यांगता (एम डी) (1.34%)				
				महिला	महिलाओं हेतु कुल 30 प्रतिशत						महिला	महिलाओं हेतु कुल 30 प्रतिशत						महिला	महिलाओं हेतु कुल 30 प्रतिशत									
					सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)			सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)			परित्यक्ता (02 प्रतिशत)									
1	BANSWARA	193	67	29	19	8	2	7	3	2	1	0	61	26	17	7	2	2	2	3	23	4						
2	CHITTORGARH	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0						
3	DUNGARPUR	83	30	12	8	4	0	3	1	1	0	0	26	11	7	3	1	1	1	1	11	1						
4	PALI	17	7	3	2	1	0	0	0	0	0	0	5	2	2	0	0	1	0	0	2	0						
5	PRATAPGARH	101	36	15	10	4	1	3	2	1	1	0	32	13	8	4	1	2	1	1	12	2						
6	RAJASAMAND	7	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0						
7	SIROHI	31	11	5	4	1	0	1	0	0	0	0	10	4	3	1	0	0	1	0	4	0						
8	UDAIPUR	214	75	32	21	9	2	8	3	2	1	0	68	28	18	8	2	2	3	3	25	4						
TOTAL		647	230	97	65	27	5	22	9	6	3	0	205	84	55	23	6	10	8	8	77	11						

(क्रमशः)

नोट:-

1. अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक ऑनलाईन आवेदन में अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करें। अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में अंकन नहीं करने की स्थिति में उनके आवेदन पर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिये विचार नहीं किया जायेगा।
2. गैर अनुसूचित क्षेत्र की स्थितियों के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकेंगे। यदि अस्थायी का चयन अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में होता है तो अस्थायी को दस्तावेज सत्यापन के समय अपना लिखित में विकल्प प्रस्तुत करना होगा कि वह अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में से किस क्षेत्र में अपना चयन चाहता है तथा किस क्षेत्र के अपने चयन को निरस्त करवाना चाहता है। विकल्प प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अस्थायी का अंतिम चयन अनुसूचित क्षेत्र में माना जायेगा।
3. महिला, भूतपूर्व सैनिकों, उत्कृष्ट खिलाड़ी एवं दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण दण्डवत (Horizontal) से होगा।
4. विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है एवं आरक्षण संबंधी प्रावधानों के संबंध में राज्य सरकार के नवीनतम नियमों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

विशेष सूचना:-

1. कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के पात्र एवं उपयुक्त अस्थायी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित स्थितियों को परचातृती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रणीत किया जायेगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात ऐसी अग्रणीत की गई स्थितियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी। यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जाएगा। परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार स्थितियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध स्थितियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिये ऐसी स्थिति परचातृती वर्षों में उपलब्ध हो।
2. राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा।
3. महिलाओं हेतु स्थितियों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) प्रवर्गानुसार (Categorywise) 30 प्रतिशत होगा। महिला अस्थायियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वे महिला आवेदक हैं, आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा। स्पष्टीकरण:- किसी वर्ग (अनारक्षित पद(सामान्य वर्ग)/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष आवेदक से भरा जाएगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमीलेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
4. महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाए गए पदों में नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत परिवर्तक (विवाह विच्छिन्न महिला) महिलाओं के लिए आरक्षित है। यदि पर्याप्त विधवा अस्थायी उपलब्ध नहीं होती हैं तो विधवा के लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की परिवर्तक (विवाह-विच्छिन्न महिला) से भरा जायेगा। इसी प्रकार यदि पर्याप्त परिवर्तक अस्थायी उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की विधवा महिला से भरा जायेगा। यदि विधवा एवं परिवर्तक दोनों ही पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की सामान्य महिला से भरा जायेगा। विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र एवं परिवर्तक महिला (विवाह विच्छिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। परिवर्तक महिला (विवाह विच्छिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का प्रमाण/न्यायालय आदेश इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा।
5. अति पिछड़ा वर्ग के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.2 (12)/विधि/2/2019 दिनांक 13.02.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के अति पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों (नॉन क्रीमीलेयर) को 05 प्रतिशत आरक्षण देय है।
6. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.7 (1)/कार्मिक/क-2/2019 दिनांक 19.02.2019 एवं 20.10.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देय है।
7. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 के अनुसार सामान्य श्रेणी के पदों के विरुद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) के केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिये देय किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है।
8. राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग /अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अस्थायियों को सामान्य वर्ग का माना जायेगा।
9. बांरा जिले की सहरिया आदिम जाति के आवेदक को आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी के संबंधित कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करने पर ही उन्हें बांरा जिले में सहरिया जाति के लिये राज्य सरकार के निर्देश क्रमांक प.13(20) कार्मिक/क-2/91पार्ट दिनांक 16.01.2020 के अनुसार आरक्षण का लाभ देय होगा।
10. भूतपूर्व सैनिकों हेतु:- (क) भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा। (ख) भूतपूर्व सैनिक :- (1) प्रतिक्षा (खल, जल, वायु सेना) सेवाओं से सेवानिवृत्त के समय आवेदक का चरित्र "अच्छा" से कम नहीं होना चाहिये जैसा कि उसकी सेवानिवृत्ति में दर्शाया गया हो। (2) प्रतिक्षा सेवा से सेवानिवृत्त के पश्चात् किसी आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जो उसे नियोजन के लिये अर्हक बना दे। भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5 प्रतिशत पद आरक्षित है। भूतपूर्व सैनिकों के पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) का उपलब्ध होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा। उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के कारण इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जा सकेगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिये कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(18) कार्मिक/क-2/84 पार्ट-III दिनांक 17.04.2018 एवं 22.12.2020 के अनुसार प्रावधान भी लागू होंगे। कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.5(18) डीओपी/ए-11/84 पार्ट IV दिनांक 01.08.2021 के अनुसार "भूतपूर्व सैनिक" के संदर्भ में व्यक्ति जो राज्य में बसे हुए है, से व्यक्ति जो राजस्थान का मूल निवासी है, अभिप्रेत है। उक्त अधिसूचना के अनुसार राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही भूतपूर्व सैनिक वर्ग का लाभ दिया जायेगा। "कोई व्यक्ति जो अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया/गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर-भीतर सेवानिवृत्त हो रहा/रही है पर उसने सक्षम प्राधिकारी से निराक्षेप प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु पदग्रहण से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निराक्षेप प्रमाणपत्र (एन.ओ.सी) के आधार पर आवेदन करता/करती है और वास्तविक सेवानिवृत्ति से पूर्व चयनित हो जाता/जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी पदग्रहण कालावधि को स्थगित कर सकेगा और उसे उसकी सेवानिवृत्ति के दो माह की किसी कालावधि के भीतर-भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा।" "यदि किसी पद के लिए प्रयोगी परीक्षा अर्हित करने के लिए एक प्रश्नपत्र में न्यूनतम अर्हक उत्तीर्ण अंक/या कुल अंक, जहाँ कहीं भी निहित किये गये हों, तो पांच प्रतिशत या भूतपूर्व सैनिक की अनुपलब्धता की दशा में और पांच प्रतिशत अथवा सुरंगत सेवा नियमों में यथा विहित, जो भी उच्चतम हो, का शिथिलीकरण भूतपूर्व सैनिकों को दिया जायेगा।" यदि किसी कारणवश भूतपूर्व सैनिक कार्यग्रहण नहीं करता है तो ऐसी स्थिति को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरा जावेगा और स्थितियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रणीत की जायेगी तथा तत्पश्चात ऐसी स्थितियां व्यपगत (Lapse) हो जायेगी।
11. उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों हेतु:- उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.5(31)DOP/A-II/84 दिनांक 21.11.2019 के अनुसार कुल स्थितियों का 2% देय होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा। आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा और ऐसी स्थिति परचातृती वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जाएगी। उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में केवल वे ही अस्थायी आवेदन करें जो कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.5(31)डीओपी/ए-11/84 दिनांक 21-11-2019 में नीचे वर्णित योग्यता रखता हो। इनसे भिन्न योग्यता रखने वाले अस्थायी का उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिये आरक्षित पदों पर चयन पर विचार नहीं किया जायेगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी सम्बन्धी प्रावधान :-कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.5(31)डीओपी/ए-11/84 दिनांक 21-11-2019 के अनुसार "उत्कृष्ट खिलाड़ी" से ऐसे खिलाड़ी अभिप्रेत हैं जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं और जिन्होंने :- 1. उक्त सारणी के स्तंभ संख्यांक 2 में उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था द्वारा आयोजित नीचे दी गयी अनुरूपी के स्तंभ संख्यांक 3 में उल्लिखित खेलकूद के किसी अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट/चैंपियनशिप में व्यक्ति: या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो;

क्र.सं. 1	अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था 2	टूर्नामेंट / चैंपियनशिप का नाम 3
1	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आई.ओ.सी.)	ओलम्पिक गेम्स (ग्रीष्मकालीन)
2	एशिया ओलम्पिक परिषद (ओ.सी.ए.)	एशियन गेम्स
3	दक्षिण एशियन ओलम्पिक परिषद (एस.ए.ओ.सी.)	दक्षिण एशियन गेम्स; जो सामान्यतः सैफ गेम्स के रूप में जाने जाते हैं।
4	राष्ट्रमण्डल खेल परिषद (सी.जी.एफ.)	राष्ट्रमण्डल गेम्स
5	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति से संबद्ध अन्तर्राष्ट्रीय खेल परिषद	विश्व कप/ विश्व चैंपियनशिप
6	एशिया ओलम्पिक परिषद से संबद्ध एशियन खेल परिषद	एशियन चैंपियनशिप
7	अन्तरराष्ट्रीय स्कूल खेल परिषद (आई.एस.एस.एफ.)	अन्तरराष्ट्रीय स्कूल गेम्स/चैंपियनशिप
8	एशियन स्कूल खेल परिषद (ए.एस.एस.एफ.)	एशियन स्कूल गेम्स/चैंपियनशिप

या

(क्रमशः)

2. स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी स्कूल नेशनल गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो ;
 3. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन(एन.एस.एफ.) द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी राष्ट्रीय टूर्नामेंट/वैपियनशिपमें व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो ;
 4. एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज द्वारा आयोजित ऑल इण्डिया इंटरयूनिवर्सिटी के किसी खेलकूद में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो;
 5. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन/वैरा ओलम्पिक कमेटी ऑफ इण्डिया या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेलकूद की नेशनल वैपियनशिप/वैरा नेशनल वैपियनशिप या नेशनल गेम्स/नेशनल पैरा गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया हो।"
- नोट:- कृपया उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी वे ही अर्हता प्राप्त करें जिनके पास उपरोक्त विन्दु संख्या 1 से 5 में वर्णित श्रेणियों के अनुसार खेल प्रमाण पत्र हों। यदि किसी आवेदक ने जान-बूझकर बिना योग्य खेल प्रमाण पत्र उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी अंकित की है, तो बोर्ड द्वारा ऐसे आवेदक के विरुद्ध कार्यवाही भी की जा सकती है। **उत्कृष्ट खिलाड़ी को खेल प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा।**

12. दिव्यांगजन (निशक्ताजन) के लिये :-

राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार एवं उक्त नियमों के नियम 6 के उपनियम 2(ख) के अन्तर्गत गठित समिति की बैठक दिनांक 10.12.2021 में लिये गये निर्णय के क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 20.12.2021 के अनुसार निम्न लिखित श्रेणी के विशेष योग्यजन को ही 4 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देय है :-

- i. HI (Hearing Impairment) :- Deaf, Hard Of Hearing.
- ii. LD/CP :- OL(One Leg), Cerebral palsy, Leprosy Cured, Dwarfism, Acid attack victims.
- iii. (1) Autism, Intellectual Disability, Specific Learning Disability & Mental Illness.
- (2) Multiple Disabilities from amongst persons under clauses (i) to (iii)

- a. दिव्यांगजन के लिये दर्शाए गए आरक्षित पदों का आरक्षण भी क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् अन्यर्था जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।
- b. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति, उपयुक्त बैचमार्क दिव्यांगजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रणी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैचमार्क दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः दिव्यांगजन की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तरपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जाएगा। यदि उस वर्ष में भी कोई दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोजता उस रिक्ति को दिव्यांगजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।
- c. दिव्यांगजन आवेदक Online application form में यथास्थान अपने वर्ग एवं दिव्यांगजन की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें। **दिव्यांगजन प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा।**
- d. ऐसे आवेदक जो दिव्यांगजन की श्रेणी में आते हैं, अपनी दिव्यांगजन के सम्बन्ध में राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार समुचित सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी के द्वारा प्रदत्त स्थायी दिव्यांगजन प्रमाण-पत्र (Permanent Disability Certificate) में दिव्यांगजन का स्पष्ट प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निशक्ताता व्यक्तियों के नियोजन नियम के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निशक्ताता (दिव्यांगजन) का प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक विशेष योग्यजन होने पर ही अर्हता को दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जाएगा।
- e. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार (संशोधित) नियम-2021 दिनांक 14.10.2021 के नियम 6(b) में किए गए प्रावधान के अनुसार संबंधित सेवा नियमों में "यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा अर्हित करने के लिए एक प्रश्नपत्र में न्यूनतम अर्हक उत्तीर्ण अंक/या कुल अंक, जहां कहीं भी निहित किये गये हों, तो पांच प्रतिशत का शिथिलीकरण दिव्यांगजन को दिया जायेगा।";

5. अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

1. अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों से ऐसे व्यक्ति अनिष्ट है जो अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी हैं और जो स्वयं या, यदि उनका जन्म 1 जनवरी, 1970 के बाद हुआ है तो उनके माता-पिता/पूर्वज 1 जनवरी 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी रहे हैं। कार्मिक(क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार इनके अन्तर्गत आने वाले किसी व्यक्ति से विवाह द्वारा संबंधित हैं और वह अपने विवाह के बाद से अनुसूचित क्षेत्र का सद्भावी निवासी है।
2. अनुसूचित क्षेत्र के लिए अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति आरक्षण की गणना राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.13(20) कार्मिक/क-2/91/पार्ट दिनांक 04.07.2016 के अनुसार की जायेगी।
3. अनुसूचित क्षेत्र के लिए कार्मिकों का चयन राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तों) नियम-2014 के अधीन होगा। जहां पर इन नियमों में स्पष्ट प्रावधान नहीं है, वहां पर राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम, 1978 यथा संशोधित अधिसूचना संख्या एफ. 19(2) 80-एल-1 दिनांक 12.02.1981 द्वारा घोषित क्षेत्र के कम में कार्मिक(क-2) विभाग ने अपने परिपत्र क्रमांक प.13(20) कार्मिक/क-2/91/पार्ट-3 दिनांक 01.06.2018 द्वारा भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना दिनांक 19.05.2018 (बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध) के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र को विखण्डित (Rescinds) करते हुए, अनुसूचित क्षेत्रों को पुनः परिनिर्दिष्ट (Redefined) किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम अधिसूचना में शामिल अनुसूचित क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुये ही अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करें।

नोट:-अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए वेतनमान, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, राष्ट्रीयता, आयु, पेशा, विवाह पंजीयन, परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाईन आवेदन करने एवं आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया, नियुक्ति की अयोग्यताएँ, प्रमाण-पत्रों के सत्यापन, अनुचित साधनों की रोकथाम एवं परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं स्वीकृत संबंधी प्रावधान गैर-अनुसूचित क्षेत्र के समान यथावत लागू होंगे।

6. वेतनमान:- राज्य सरकार द्वारा सातवें वेतनमान के अनुसार शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पद हेतु पे मैट्रिक्स लेवल-10 देय है।

अन्य शर्तें :-

- (1) सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त परीक्षार्थी प्रशिक्षु (Trainee) को परीक्षा की अवधि के दौरान मासिक नियत पारिश्रमिक ऐसी दरों पर संदत्त किया जायेगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की जावे।
- (2) सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त सभी व्यक्तियों की नियुक्ति दो वर्ष की परीक्षा अवधि के लिये की जायेगी। इस अवधि के दौरान पद की वेतन श्रृंखला न देकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। परीक्षा अवधि में अन्य सुविधाएँ एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में निहित संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगा। परीक्षा अवधि की समाप्ति पर पद की वेतन श्रृंखला का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे व स्थाईकरण का पात्र होगा।

7. पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता:-

- (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सैकण्डरी या उसके समतुल्य परीक्षा साथ ही सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षा में प्रमाणपत्र(सी.पी.एड.) या शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा(डी.पी.एड.) या शारीरिक शिक्षा में स्नातक(बी.पी.एड.)
- (ii) देवनागरी लिपी में लिखी हिन्दी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।

जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा हो, जो इन नियमों में उल्लिखित पद के लिए शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता है या सीधी भर्ती के लिए उक्त पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा लेकिन वह/उसे उपयुक्त चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा,-

1. मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले, जहाँ लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के दो चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है,
2. साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहाँ लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है।
3. लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहाँ केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाना है, जैसा भी मामला हो।

नोट:-इस भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले हैं या सम्मिलित हो रहे हैं अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती की परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य होगी। अन्यथा परीक्षा के बाद शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को इस भर्ती हेतु पात्र नहीं माना जायेगा।

अन्य योग्यताएँ :-

- (1) स्वास्थ्य:- उक्त पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए और वह ऐसे किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो कि उक्त पद के रूप में उसके कर्तव्यों के कुशल पालन में बाधा डाल सके और यदि वह चयनित कर लिया जाता है तो उसे इसके लिये अपना आरोग्यता प्रमाण पत्र उस जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या मेडीकल ज्यूरिस्ट द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा जिस जिले में सामान्यतः वह निवास करता है।
- (2) चरित्र :- सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जिससे कि वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये योग्य हो सके। उसे सच्चरित्र का प्रमाण पत्र ऐसे विश्वविद्यालय, स्कूल या कॉलेज जहाँ उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो, के प्रधानाचार्य/शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त, प्रस्तुत करना होगा और दो ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे जो आवेदन-पत्र की दिनांक से 6 महीने पहले के न हो और अभ्यर्थी के रिश्तेदार द्वारा दिये हुये नहीं हो।

8. राष्ट्रीयता :-

- (क) भारत का नागरिक हो, या
 - (ख) नेपाल का प्रजाजन हो, या
 - (ग) भूटान का प्रजाजन हो, या
 - (घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो दिनांक 1-1-62 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के विचार से आया था, या
 - (ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति न जो भारत में स्थायी रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगान्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (भूतपूर्व टंगानिया तथा जंजीबार), जाम्बिया, मालवी, जैर और इथोपिया से भारत में स्थानान्तरण कर लिया हो।
- नोट:-**परन्तु शर्त यह है कि वर्ग (ख),(ग),(घ),(ङ) से सम्बन्धित प्राथियों को भारत सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा प्रदत्त पात्रता का वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

9. आयु:- आवेदक 1, जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, परन्तु "जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिये भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जायेगा, किन्तु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जायेगी।"

(क्रमशः)

21. शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम:- शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम निम्नानुसार होगी :-

- (1) परीक्षा 460 अंकों की होगी और स्पोर्ट्स/टूर्नामेंटों में भाग लेने के लिए अधिकतम 40 अंक दिये जायेंगे। (नीचे प्रश्नपत्र-II में उल्लिखित "टिप्पणी" के अनुसार)।
 (2) दो प्रश्नपत्र होंगे। प्रश्नपत्र-I 200 अंकों का होगा और प्रश्नपत्र-II 260 अंकों का होगा।

प्रश्न पत्र-I

1. प्रश्न पत्र अधिकतम 200 अंकों का होगा।
2. प्रश्न पत्र की समयावधि 2.00 घण्टे की होगी।
3. प्रश्न पत्र में बहु विकल्प के 100 प्रश्न होंगे।
4. प्रश्न पत्र में निम्नलिखित विषय होंगे जिनके अंक उनके सामने दर्शाये गये अनुसार होंगे :-
 (i) राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान
 (ii) राजस्थान की समसामयिक घटनाएँ
 (iii) विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान
 (iv) शिक्षा मनोविज्ञान

5. उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का एक तिहाई भाग काटा जा सकेगा।
स्पष्टीकरण : गलत उत्तर से अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर अमिष्ट है।
6. प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 40 प्रतिशत होंगे परन्तु उपर्युक्त नियत प्रतिशत, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए पांच प्रतिशत शिथिल किया जायेगा।

प्रश्न पत्र-II

1. प्रश्न पत्र अधिकतम 260 अंकों का होगा और (नीचे उल्लेखित टिप्पणी के अनुसार) क्रीड़ा/टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए अधिकतम 40 अंक प्रदान किये जायेंगे।
2. प्रश्न पत्र की समयावधि 2.00 घण्टे होगी।
3. प्रश्न पत्र में बहुविकल्प के 130 प्रश्न होंगे।
4. उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का एक तिहाई भाग काटा जा सकेगा।
स्पष्टीकरण : गलत उत्तर से अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर अमिष्ट है।
5. प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 40 प्रतिशत होंगे परन्तु उपर्युक्त नियत प्रतिशत, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए पांच प्रतिशत शिथिल किया जायेगा।
6. प्रश्न पत्र में निम्नलिखित विषय होंगे जिनके अंक उनके सामने दर्शाये गये अनुसार होंगे :-
 (i) सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी स्तर की शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान
 (ii) क्रीड़ा और शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएँ और इतिहास
 (iii) शारीरिक शिक्षा के सिद्धान्त, परिभाषाएँ और इतिहास
 (iv) शिक्षा और खेल मनोविज्ञान
 (v) शारीरिक शिक्षा की विधियाँ, पर्यवेक्षण और उसके संगठन
 (vi) प्रशिक्षण के सिद्धान्त और विनिश्चय
 (vii) मूल शरीर रचना का विज्ञान, उसकी क्रिया और स्वास्थ्य शिक्षा
 (viii) मनोरंजन, कैम्प और योग

स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में भाग लेने और अर्जित स्थान के प्रमाणपत्र के आधार पर दिये जाने वाले अंक
 शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पदों के लिए स्पोर्ट्स/टूर्नामेंटों में भाग लेने पर अधिकतम 40 अंक दिये जायेंगे।
 (नीचे उल्लिखित "टिप्पणी" के अनुसार)

टिप्पणी : (I) क्रीड़ा प्रतियोगिता में भाग लेने और अर्जित स्थान के प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रदान किये जाने वाले अंक निम्न प्रकार से होंगे :-

1. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने पर या राष्ट्रीय स्तर पर विजेता	40 अंक
2. राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान	36 अंक
3. राष्ट्रीय स्तर पर तृतीय स्थान	32 अंक
4. राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने पर या राज्य स्तर पर विजेता	28 अंक
5. राज्य स्तर पर द्वितीय स्थान	24 अंक
6. राज्य स्तर पर तृतीय स्थान	20 अंक
7. राज्य स्तर पर भाग लेने पर या जिला स्तर पर विजेता	16 अंक
8. जिला स्तर पर द्वितीय स्थान	12 अंक
9. जिला स्तर पर तृतीय स्थान	08 अंक
10. जिला स्तर पर भाग लेने पर	04 अंक

टिप्पणी :- (II) स्तर निम्न प्रकार से होंगे :-

1. जिला स्तर — निम्नलिखित टूर्नामेंटों को जिला स्तर का माना जायेगा :-
 क. प्रारंभिक शिक्षा विभाग का जिला स्तरीय विद्यालय टूर्नामेंट।
 ख. माध्यमिक शिक्षा विभाग का जिला स्तरीय विद्यालय टूर्नामेंट।
 ग. संस्कृत शिक्षा विभाग का राज्य स्तरीय विद्यालय टूर्नामेंट।
 घ. नवोदय विद्यालय समिति और केन्द्रीय विद्यालय संगठन का सामूहिक (कलस्टर) स्तरीय विद्यालय टूर्नामेंट।
 ङ. विश्वविद्यालयों का अंतर-महाविद्यालय टूर्नामेंट।
2. राज्य स्तर — निम्नलिखित टूर्नामेंटों को राज्य स्तर का माना जायेगा :-
 क. प्रारंभिक शिक्षा विभाग का राज्य स्तरीय विद्यालय टूर्नामेंट।
 ख. माध्यमिक शिक्षा विभाग का राज्य स्तरीय विद्यालय टूर्नामेंट।
 ग. नवोदय विद्यालय समिति और केन्द्रीय विद्यालय संगठन का राष्ट्रीय स्तर का विद्यालय टूर्नामेंट।
 घ. जोन स्तर पर अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट।
3. राष्ट्रीय स्तर— निम्नलिखित टूर्नामेंटों को राष्ट्रीय स्तर का माना जायेगा :-
 क. स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित विद्यालय खेल टूर्नामेंट।
 ख. राष्ट्रीय या इन्टर जोन स्तर पर अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट।
4. अंतर्राष्ट्रीय स्तर— इनमें से किसी एक संगठन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भाग लेना — भारतीय विद्यालय खेल परिसंघ (स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया), विश्वविद्यालय क्रीड़ा संघ (यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स एसोसिएशन) या भारतीय क्रीड़ा परिसंघ (स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया)

टिप्पणी :- (III) स्पोर्ट्स प्रमाण-पत्रों का सत्यापन :-

- क. स्पोर्ट्स प्रमाण-पत्रों पर तब ही विचार किया जायेगा यदि वे राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल के सचिव या संस्थान के प्रधान द्वारा इस उल्लेख के साथ सत्यापित किये गये हो कि भाग लेने वाला संस्था का नियमित छात्र है।
- ख. अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारतीय विद्यालय खेल परिसंघ, विश्वविद्यालय क्रीड़ा संघ या भारतीय क्रीड़ा परिसंघ के माध्यम से भाग लेने या अर्जित स्थान के स्पोर्ट्स प्रमाण-पत्र पर तब ही विचार किया जायेगा जब उसे संबंधित परिसंघ/संघ द्वारा सत्यापित किया गया हो।

पाठ्यक्रम अलग से बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध करवा दिया जायेगा।

22. बोर्ड की वेबसाइट:- अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष नम्बर 0141-2722520 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर दुर्गापुरा, जयपुर-302018 को सम्बोधित किया जायेगा।

(हरि प्रसाद शर्मा)
अध्यक्ष

रोजगार के अवसर (संक्षिप्त जानकारी)

एनपीसीआईएल पद - ट्रेड अप्रेंटिस पद संख्या - कुल 177 पद अंतिम तिथि - 15 जुलाई, 2022 https://www.npcil.nic.in/	जेएमआई पद - पीजीटी, टीजीटी पद संख्या - कुल 37 पद अंतिम तिथि - 06 जुलाई, 2022 https://www.jmi.ac.in/	एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया पद - जूनियर एजीक्यूटिव पद संख्या - कुल 400 पद अंतिम तिथि - 14 जुलाई, 2022 https://www.aai.aero/	आरएसएमएसएसबी पद - जूनियर इंजीनियर एजीक्यूटिव पद संख्या - कुल 189 पद अंतिम तिथि - 6 जुलाई, 2022 https://rsmssb.rajasthan.gov.in
एनआईपीआईआर, अहमदाबाद पद - फेकल्टी और नॉन-फेकल्टी पद संख्या - कुल 22 पद अंतिम तिथि - 11 जुलाई, 2022 https://www.niperahm.ac.in/	यूपीपीएससी पद - इंस्पेक्टर, मेडिकल ऑफिसर आदि पद संख्या - कुल 14 पद अंतिम तिथि - 9 जुलाई, 2022 https://uppsc.up.nic.in/	टीएसएसपीडीसीएल पद - सब इंजीनियर पद संख्या - कुल 201 पद अंतिम तिथि - 5 जुलाई, 2022 www.tssouthernpower.com	सिडबी बैंक पद - डेवलपमेंट एजीक्यूटिव पद संख्या - कुल 25 पद अंतिम तिथि - 17 जुलाई, 2022 https://sidbi.in/en

सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी

- राजस्थान में पवाड़ा से तात्पर्य है ?
(अ) लोकगीत (ब) लोकनाट्य (स) लोक गायन (द) लोक नृत्य
- हाल ही में जयपुर में पद्मश्री स्वर्गीय अर्जुन प्रजापति की स्मृति में अर्जुन कला अवॉर्ड किसे प्रदान किए ?
(अ) अशोक गहलोत (ब) कलराज मिश्र (स) ओम बिरला (द) उपरोक्त सभी
- हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है ?
(अ) न्यायमूर्ति अजमद अहमद सईद (ब) न्यायमूर्ति शिंदे संभाजी शिवाजी (स) न्यायमूर्ति रमोन एम छाया (द) न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा
- हाल ही में राजस्थान में राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत स्कॉलरशिप छात्राओं को दी जाएगी ?
(अ) 10% (ब) 18% (स) 20% (द) 30%
- राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाटी जाने वाली खरपतवार को कहते हैं ?
(अ) धमासा (ब) बातरा (स) पणों (द) इनमें से कोई नहीं
- गोपीजी भट्ट राजस्थान की किस लोकनृत्य शैली के कलाकार हैं ?
(अ) स्वांग (ब) तमाशा (स) रम्मत (द) रामलीला
- भारत का राष्ट्रपति संसद में अधिकाधिक कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत कर सकता है ?
(अ) 2 (ब) 3 (स) 4 (द) कोई सीमा नहीं
- राजतरंगिणी के रचनाकार हैं ?
(अ) कल्हण (ब) पाणिनी (स) कौटिल्य (द) चंद्रखरदाई
- उच्च रक्त दाब को रोकने हेतु औषधि प्राप्त होती है ?
(अ) डीजीटैलिस जाति से (ब) पैपर जाति से (स) सिनकोना जाति से (द) राजकुल्या जाति से
- कोटा, बूंदी एवं इंदौर किस शैली के प्रमुख क्षेत्र हैं ?
(अ) कोटा शैली (ब) बूंदी शैली (स) हावेली शैली (द) इनमें से कोई नहीं
- भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौनसा है ?
(अ) वैहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान (ब) मानस राष्ट्रीय उद्यान (स) काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (द) इनमें से कोई नहीं
- हाल ही में इंडियन रेलवे कैंटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन द्वारा देश की पहली भारत गीट टूरिस्ट ट्रेन कहां से शुरू की गई है ?
(अ) हरियाणा (ब) बिहार (स) नई दिल्ली (द) इनमें से कोई नहीं
- हाल ही में केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 'निपुण' परियोजना का शुभारंभ किया है, यह संबंधित है ?
(अ) कौशल प्रशिक्षण (ब) शिक्षा (स) स्वास्थ्य (द) खेल
- ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केन्द्रक झिल्ली नहीं होती है, कहलाते हैं ?
(अ) लाइसोसोम (ब) राइबोसोम (स) यूकेरियोटिक (द) प्रोकेरियोटिक
- इनमें से संकटकालीन हार्मोन कौनसा है ?
(अ) ग्लूकोकॉर्टिकोइड (ब) एंटीग्लूकोकॉर्टिकोइड (स) थाइरोक्सीन (द) इनमें से कोई नहीं

उत्तरमाला

1(स) 2(स) 3(ब) 4(द) 5(अ) 6(ब) 7(अ) 8(अ) 9(द) 10(स) 11(अ) 12(स) 13(अ) 14(द) 15(ब)

SWAMI KESHWANAND RAJASTHAN AGRICULTURAL UNIVERSITY
 National Highway No. 15, Singanagar Road, Bikaner - 334006 (Rajasthan)
 स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय
 राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 15, सिंगानगर रोड, बीकानेर - 334006 (राजस्थान)
 Phone : 0151-250025 Fax : 0151-250025 E-mail: raj@swamikaner.org
 Advertisement No. SKRAU/2022/01 Dated : 18.06.2022

Advertisement for the post of Vice-Chancellor (SKRAU, Bikaner)

Application and nominations, in prescribed format, are invited for the post of Vice-Chancellor, Swami Keshwanand Rajasthan Agriculture University, Bikaner, on behalf of the Search Committee. The applicants are advised to send their Curriculum Vitae by post and email in the prescribed format as to reach the office of the Undersecretary on or before 20th July, 2022 at 05.00 PM. Detailed advertisement and application form can be downloaded from the website www.rajbhawan.org or www.rajbhawan.gov.in.

CHAIRMAN
VC SEARCH COMMITTEE

Agriculture University, Jodhpur
 Jodhpur - 342304 (Rajasthan)
 कृषि विश्वविद्यालय, जयपुर
 जयपुर - 342304 (राजस्थान)

Website: www.auijodhpur.ac.in Email: vcsearch@aujodhpur.ac.in Tel: 0141-2704357

Advt. No.: AUJ/2022/05 Date :- 21.06.2022

Detailed Advertisement for the post of Vice-Chancellor (AU, Jodhpur)

The Search Committee invites applications/nominations from distinguished academicians in agriculture education having a minimum of ten years experience as a Professor in a University or College or ten years experience in an equivalent position in a reputed research and/or academic administrative organization and, of the highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment, in the prescribed **Format of Application for the post of Vice-Chancellor, Agriculture University, Jodhpur**. The appointment will be for a period of 3 years or up to the age of 70 years, whichever is earlier. Application/nomination in the prescribed format duly signed by the candidate along with required information and supporting documents need to be sent both in soft copy by email to vcsearch@aujodhpur.ac.in and hard copy by post to the Registrar, Agriculture University, Jodhpur, Mandor, Jodhpur (Rajasthan) - 342304. The last date of submission of the application is latest by 25th July 2022 before 5:00 PM. "Application for the post of Vice-Chancellor, Agriculture University, Jodhpur and confidential" should be super scribed on the envelope and copied in the Subject of the e-mail. The candidates are required to download the prescribed Format for Application and further details from the website www.auijodhpur.ac.in of the University and the website www.rajbhawan.rajasthan.gov.in of Raj Bhawan-Rajasthan, Jaipur.

REGISTRAR

राजस्थान-सरकार
संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर
 द्वितीय कोट, ब्लॉक 6, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर
 Ph. No. 0141-2704357 : Fax: 0141-2704358 email: dir-sans-rj@nic.in
 क्रमिक: निरीक्षण/परीक्षा अनुभाग/4.1/अध्यापक/2022/16791-92 दिनांक: 27.06.2022

विज्ञापन सं. 01-02/2022

अध्यापक लेवल प्रथम (कक्षा 1-5) संस्कृत/सामान्य (ग्रेड-III) सीधी भर्ती-2022
 आदेश की अतिरिक्त दिथि 20.07.2022

राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम, 2015 के भाग-4 में किये गये सीधी भर्ती के प्रावधानों के अन्तर्गत अध्यापक लेवल प्रथम (कक्षा 1-5) संस्कृत/ सामान्य के 272 पदों पर सीधी भर्ती 2022 के लिए अनुसूचित क्षेत्र (TSP) एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON-TSP) के लिए निर्धारित योग्यताएँ अभ्यर्थियों से अनिवार्यतापूर्वक आवेदन (Online Application Form) दिनांक 01.07.2022 से दिनांक 20.07.2022 तक अनिवार्यतापूर्वक किये जाते हैं। अभ्यर्थियों को अनिवार्यतापूर्वक आवेदन करने के लिए विद्यालय वेब साइट www.rajsanskrit.nic.in अथवा SSO पोर्टल ssr.rajasthan.gov.in से Login Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal को चयन कर One Time Registration (OTR) करना अनिवार्य है। विज्ञापन का विवरण, आवेदन, आवेदन, योग्यता, चयन प्रक्रिया एवं आवेदन पर अनिवार्यतापूर्वक किये जाने के दिनांक-निर्देश एवं विज्ञापन का विवरण विद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। अभ्यर्थी विद्यालय को वेबसाइट www.rajsanskrit.nic.in पर दिनांक 01.07.2022 से अनिवार्यतापूर्वक आवेदन कर सकेंगे।

पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	क्षेत्र	अध्यापक (संस्कृत)	अध्यापक (सामान्य)
1.	अनुसूचित क्षेत्र (TSP)	40	23
2.	गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON-TSP)	101	108

DIPRC/8690/22 निर्देशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

वार्षिक अभिदाताओं हेतु आवश्यक सूचना

राजस्थान रोजगार संदेश (पाक्षिक) के वार्षिक अभिदाता बनने हेतु अथवा वर्तमान में चल रहे अभिदाता जिनका वार्षिक शुल्क समाप्त होने जा रहा है वे स्वरूप 40/- की राशि का भारतीय पोस्टल ऑर्डर या डिमान्ड ड्राफ्ट सहायक निदेशक (प्रकाशन) राजस्थान रोजगार संदेश के पक्ष में भेजकर इस पाक्षिक पत्र के वार्षिक सदस्य बन सकते हैं। - संपादक

सूचना

राजस्थान रोजगार संदेश के प्रकाशित लेखों एवं प्रशिक्षण एक परिचय में प्रयुक्त विषय वस्तु लेखकों / संस्थानों की अपनी है। सम्पादक इन विषय वस्तु एवं इनसे उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के विवाद के लिए किसी भी तरह उत्तरदायी नहीं है। - सम्पादक

राजस्थान रोजगार संदेश

मुख्य सम्पादक
 निदेशक, रोजगार सेवा निदेशालय
 राजस्थान, जयपुर
 मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक
 हरी राम बडगुजर
 सहायक निदेशक (प्रकाशन) राजस्थान रोजगार संदेश, जयपुर,
 डाक का पता : सहायक निदेशक प्रकाशन, दवाक स्कूल परिसर,
 गोपीनाथ मार्ग, जयपुर, पिनकोड- 302001, फोन- 2368398
e-mail— adrs.jpr.emp@rajasthan.gov.in